न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 107/2020 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2020/00109

अर्जुनराम पुत्र लक्ष्मण राम जाति नायक निवासी चक 19 एच, श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. सन्ती पुत्री स्व. सरजू उर्फ सुरजन सिंह जाति मजहबी निवासी चक 8 बी, तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. भजन कौर पत्नी प्रकाश सिंह जाति मजहबी निवासी चक 19 एच, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रकाश सिंह पुत्र स्व. सरजू उर्फ सुरजन सिंह जाति मजहबी निवासी चक 8 बी, तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट
श्री ज्ञान सिंह बिश्नोई अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.1 ता 3

निर्णय

दिनांक 20.07.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 26.05.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित भूमि वाके चक 19 एच़ तहसील श्रीकरणपुर मु. नं. 47 हाल 44 के किला नंबर 4 ता 7, 14 ता 16 व 25/1 की तादादी 2.0110 हैक्टेयर नहरी खातेदारी भूमि है। अपीलांट ने उक्त वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं साधु सिंह पुत्र सुरजन सिंह से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की। उक्त खातेदारी भूमि से संबंधित इंतकाल संख्या 15 से अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय दिनांक 26.05.2017 द्वारा इंतकाल संख्या 14 को निरस्त कर दिया। अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 26.05.2017 से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री विजय कुमार पारीक ने अपनी बहस में कथन किया है कि आराजी जैर अपील भूमि चक 19 एच तहसील श्रीकरणपुर मु. नं. 47 हाल 44 के किला नंबर 4 ता 7, 14 ता 16 व 25/1 की तादादी 2.0110 हैक्टेयर नहरी भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्राप्त हुए। अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये इंतकाल संख्या 15 दर्ज है। अपीलांट वादगत भूमि का बोनाफाईड परचेजर विद फूल कन्सीडरेशन है और खरीद की तिथि से लगातार काबिज काश्तकार है। विवादित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व स्व. साधु सिंह के पिता सुरजन सिंह के नाम से होने के बाद इंतकाल संख्या 13 सुरजन सिंह पुत्र मामू सिंह के नाम दर्ज हुआ। सुरजन सिंह की मृत्यु हो जाने पर उक्त विवादित भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 14 रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व स्व. साधु सिंह पुत्र स्व. सुरजन सिंह के नाम दर्ज किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने इंतकाल संख्या 14 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। वादगत भूमि अपीलांट ने वर्ष 1974 में खरीदी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपजिला कलक्टर श्रीकरणपुर के समक्ष एक वाद/प्रार्थना पत्र अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही पेश किया, जिसे न्यायालय का खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इंतकाल संख्या 14 दर्ज होने के समय नाबालिग थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के विक्रय करने को सहमत रही और प्रतिफल की प्राप्त राशि में अपना हिस्सा भी प्राप्त कर लिया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 3 ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये अधिनस्थ न्यायालय को धोखे में रख कर प्राप्त किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 श्री ज्ञान सिंह बिश्नोई ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मूल खातेदार स्व. सुरजन सिंह की पुत्री एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं स्व. साधु सिंह की बहिन है। वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी बहिस्सा बराबर हकदार है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाया जावे, जिससे वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 को उसके हक की भूमि मिल सके।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये अपील पेश की गई है जबकि अपीलांट वादगत भूमि का हितबद्ध पक्षकार है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय दोनो पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर